

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:-प.1(क)(15)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./21/6576

दिनांक:- 29/10/21

आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.10.2021 में की गई अनुशंषानुसार राजस्थान नगर पालिका सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम संख्या 03 में अंकित पद पर व कॉलम संख्या 04 में अंकित वर्ष की रिक्तियों में तथा कॉलम संख्या 05 में अंकित तिथि से राजस्व अधिकारी-प्रथम के पद पर निर्धारित वेतनमान में पदोन्नत करते हुए एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखा जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम	पदोन्नति पद	वर्ष जिसकी रिक्तियों में पदोन्नति दी गई	दिनांक जिससे परिवीक्षाधीन रखा गया	विशेष विवरण
01.	02.	03.	04.	05.	06.
01.	श्री आशुतोष आचार्य, राजस्व अधिकारी-द्वितीय	राजस्व अधिकारी-प्रथम	2020-21	01.04.2020	-
02.	श्रीमती ममता चौधरी, कर-निर्धारक	राजस्व अधिकारी-प्रथम	2020-21	01.04.2020	-
03.	श्री देवेन्द्र कुमार जिन्दल, कार्यालय अधीक्षक(अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी)	राजस्व अधिकारी-प्रथम	2021-22	13.07.2021	-
04.	श्रीमती विद्या सैन, राजस्व अधिकारी-द्वितीय	राजस्व अधिकारी-प्रथम	2021-22	01.04.2021	-
05.	श्री तेजराम मीणा, राजस्व अधिकारी-द्वितीय	राजस्व अधिकारी-प्रथम	2021-22	01.04.2021	-

उपर्युक्त अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ केवल नोशनल आधार पर देय होगा। वास्तविक वित्तीय लाभ पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा एवं पूर्व का कोई ऐरियर देय नहीं होगा। उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नति उपरान्त आगामी आदेशों तक वर्तमान पदस्थापन पर यथावत कार्य सम्पादित करेंगे।

उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन सं0 10580/2021 श्री फतेह सिंह मीणा एवं श्री अभिषेक गहलोत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं श्री भंवरा राम द्वारा दायर एस.बी. सिविल रिट अवमानना सं0 691/2021 में मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के अध्यक्षीन रहेगा।

(भवानी सिंह दिशा)

शासन सचिव

क्रमांक:-प.1(क)(15)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./21/6577-660 दिनांक:- 29/10/21
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका.....।
5. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती.....।
6. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(संजीव कुमार पाण्डेय)
अतिरिक्त निदेशक